

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोपाल लाल

बनाम देऊवाई

128 पर अक्ट

ही अन्तर्गत

मुकदमा प्रथम पत्र

नं. 174 सन् 2020

(2020/00307)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 16/11/2021 | <p>पञ्जाली प्रशासन गांवों के (पंज) कमिश्नर 2021 के तहत गा. सं. 10 अरनिचापंच पर आयोजित शिबिर में निरीक्षण हेतु लक्षी गई हमारे पञ्जाली का अकालेका किताब। प्रथम गा. अरनिचापंच स्मित आ. नं. 137, 141/1782 149, 150, 154, 155/1808, 156/1810, 157, 158, 161 कील 10 रकबा 2-32 हे. भूमि की पत्थरगद्दी करना चाहते हैं। पञ्जाली में संलग्न नकल जमावती सन् 2068-2071 अगुला उत्त आराजीपत्र प्रथम पत्र के संयुक्त रूप से जारी दिए रिकार्ड हैं। अतः प्रथम पत्र अर्द्ध द्वारा 128 पर अक्ट स्वीकार किया जाकर गा. अरनिचापंच स्मित आराजी संख्या 137, 141/1782, 149, 150, 154, 155/1808, 156/1810, 157, 158, 161 कील 10 कुल रकबा 2-32 हे. भूमि की बिना किसी के कहजे में दरलान्दाजी किए सटलमेन्ट नक्शे अगुला पत्थरगद्दी किए जाके के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1500 = 00 अक्षरे एक हजार पंच से रूप्पर प्रथम पत्र वहन करेंगे। पालना तहकीलदार चित्तौड़गढ़ को निरवा जावे कि पञ्जाली को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जावे से पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पञ्जाली के जल शुभा लेकर नक्शे ल करा हो।</p> | |

(श्याम सुन्दर विशनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

